पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर व
गई कार्रवाइ

विविध वाद संख्या 17/13–14

जय प्रकाश सिंह ..... प्रथम पक्ष

बनाम्

रविन्द्र भगत वगैरह ..... द्वितीय पक्ष

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। आवेदक जय प्रकाश सिंह, पिता स्व0 राम सेवक राम, ग्राम पालगंज, थाना पीरटांड़, जिला गिरिडीह के आवेदन पर विद्व अंचल अधिकारी, पीरटांड़, जिला गिरिडीह के आवेदन पर विद्व अंचल अधिकारी, पीरटांड़ द्वारा अग्रसारण अभिलेख के आधार पर विपक्षी रवीन्द्र भगत वगैरह, साकिन पालगंज, थाना पीरटांड़, जिला गिरिडीह के विरूद्ध प्रारम्भ किया जाय।

वादगत भूमि की विवरणी।

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकवा
पालगंज	15	187/201	783	1.36 एकड़

उभय पक्षों को नोटिश निर्गत किया गया, तत्पश्चत् उभय पक्ष उपस्थित हुए एवं अपना–अपना पक्ष कागजात के साथ प्रस्तुत किये।

आवेदक का कथन है कि प्रश्नगत भूमि खाता नं0 187/201, प्लॉट नं0 783, रकवा 1.50 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीन्दार से त्रिवेणी राम और राम सेवक राम, दोनों के पिता लद्दु राम, ग्राम पालगंज, थाना पीरटांड, जिला गिरिडीह को दिनांक 17.04.1930 ई0 में प्राप्त है और आवेदक के पिता खास दखल में थे, त्रिवेणी राम निःसंतान मरे एवं राम सेवक राम तन्हा दखल–कब्जा में आये। राम सेवक राम का नाम पंजी–।। में इन्द्राज है और राम सेवक राम द्वारा लगातार सरकारी लगान देते आ रहे है और रसीद प्राप्त करते रहे। राम सेवक राम की मृत्यु के बाद आवेदक

Scanned with CamScanner

दखल–कब्जा में आये और जोत–आबाद करते चले आ रहे है। सरकारी लगान भुगतान कर रसीद हासिल करते चले आ रहे है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि आवेदक जमीन पर दखल–कब्जा में हैं, जिसमें से 14 डी0 जमीन बिक्री किया गया है, जिसका क्रेता दखलकार है, बचा हुआ 1.36 एकड़ जमीन आवेदक के दखल–कब्जा में है एवं खेती–बारी कर रहा है। विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि विपक्षी रविन्द्र भोक्ता वगैरह जालसाजी कर इन्कम्बर्ड स्टेट द्वारा वर्ष 1945 ई0 का जानबूझकर बनाये है एवं अपना नाम पंजी–।। में दर्ज कराये है, जो बिना सक्षम राजस्व पदाधिकारी के आदेश का है। इस आधार पर विपक्षी का जमबन्दी रद्द करने का अनुरोध करते है, चूंकि आवेदक के द्वारा दाखिल किये गये सभी दस्तावेज सही हैं, उनका यह भी कथन है कि प्रथम पक्ष का हुकुमनामा सन् 1930 का है, साथ ही वर्ष 1959–60 से लगातार 2013 तक रसीद हासिल है, जो दखल–कब्जा की पुष्टि करता है। विद्वान अंचल अधिकारी ने अपने आदेश में उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते है, जबकि द्वितीय पक्ष का हुकुमनामा वर्ष 1945 का है और रसीद वर्ष 1990 से है। द्वितीय पक्ष का लगान निर्धारण नोटिश वर्ष 1974 में निर्गत हुआ, परन्तु पंजी–।। में करीब 16 वर्ष बाद वर्ष 1990 से रसीद निर्गत हुआ है, जो पंजी–।। में दर्ज है।

द्वितीय पक्ष का कथन है कि विवादित जमीन वर्ष 1945 में इन्कम्बर्ड स्टेट जारी पर्चा से हासिल है, उनका नाम जमाबन्दी पंजी में दर्ज है एवं लगान रसीद अद्यतन हासिल है व दखल–कब्जे में है, अलावे दिवानी मुकदमा T.S. 143/13 मुन्सिफ न्यायालय में लम्बित है। अतएव आवेदक का आवेदन खारीज किया जाय।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया। विद्व अंचल अधिकाारी, पीरटांड के आदेश सह हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जॉच प्रतिवेदन को गहराई से अवलोकन के बाद यह बात स्पष्ट होती है कि आवेदक जय प्रकाश सिंह का हुकुमनामा सन् 1930 का है और जमाबन्दी पंजी–।। में इनके पिता राम सेवक राम के नाम से इन्द्राज है, साथ ही लगान रसीद वर्ष 1959–60 से 1913 तक निर्गत है एवं स्थल निरीक्षण से भी यह स्पष्ट है कि आवेदक आज तक विवादित भूमि पर दखल–कब्जा में है और जोत–आबाद लगातार करते आ रहे है, जिसकी सम्पुष्टि स्थल जॉच के दरम्यान बुजुर्गो ने दखल–कब्जा की

Scanned with CamScanner

पुष्टि की है। द्वितीय पक्ष के दखल–कब्जा के बारे में किसी ने समर्थन नहीं किया है। उपरोक्त वर्णित सभी तथ्यों से द्वितीय पक्ष का जमाबन्दी सन्देहास्पद एवं अवैध है, जबकि आवेदक जय प्रकाश सिंह का दावा खाता नं0 187, प्लॉट नं0 783, रकवा वर्त्तमान 1.36 एकड का दावा सही है। अतएव द्वितीय पक्ष का जमाबन्दी अवैध घोषित किया जाता है तथा आवेदक का जमाबन्दी बरकरार रखा जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, पीरटांड़ को आदेश की प्रति के साथ अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

16/09/15

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

16/09/15

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
गिरिडीह।

Scanned with CamScanner